HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17258/2026
CNR: RJHC021053792026 | URN: CRLMB / 31770U / 2026

Sukhdev Choudhary S/o Bajrang Choudhary, R/o Ward No. 6, Nimodiya Tehsil Chaksu, District Jaipur, At Present House No. 592, Krishi Nagar, Toll Tax, Sanganer, Police Station Malpura Gate, At Present Assistant Sub Inspector, Police Station Pratap Nagar, Jaipur (East). (At Present Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kapil Nagayach
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **सीपीएस जयपुर** जिला एसीबी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **294/2026** अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि उस पर अन्वेषण की कार्यवाही में किसी पक्ष विशेष के हित में कार्यवाही करने के लिए दस हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का अभियोग है। उनका तर्क है कि जो लिप्यांतरण मांग की बताई गई है, उस वार्तालाप में प्रार्थी का आरम्भ में मना करना ही बताया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 06.10.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का इस प्रकृति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में

समय लगेगा। वह राजकीय सेवक है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि लिप्यांतरण जो कि मांग के सम्बन्ध में पेश हुआ है, उसके अंत में रिश्वत लेने की मांग की पुष्टि हुई है। साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त रिश्वत राशि लेते हुए पकड़ा गया है तथा उसके आधिपत्य से रिश्वत की राशि बरामद हुई है। उसका अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अभियोग हैं। प्रार्थी दिनांक 06.10.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व का इस प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। उससे रिश्वत की राशि दस हजार रूप्ये की बरामदगी हो चुकी है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सुखदेव चौधरी पुत्र बजरंग चौधरी** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/S-A/96/AJAY KUMAR SINGHAL